

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1228

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. PRIYANKA SINGH 06-2002

D/o MR. Mr. SAVAI SINGH JAMRA

Address- 3175 -E SUDAMA NAGAR, INDOR MP

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1228.../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1229
प्रति,

दिनांक - 9 /02/2022

Dr. DHARMENDRA SINGH RAJPUT UH-2002

S/o MR. SUGHAR SINGH RAJPUT

Address- 1/46 SHABDPRATP ASHRAM GWALIOR

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागली जिला देवास में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1229.../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागली जिला देवास ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1230

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. GUNJAN BHARGAVA UG-2102

D/o MR. D.N.BHARGAVA

Address- NEAR BAALROOP HANUMAN MANDIR

GANDHI WARD SEONI MP 480661

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1230...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

कमांक/छात्र/ 2022/ 1210
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. AMITESH DUBEY 06-203

D/o Mr. C.N. DUBEY

Address- 2707, Baldeobagh Jabalpur MP

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में कार्यरत होने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया में कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1207
प्रति,

दिनांक - 9 /02/2022

Dr. Chhavi Dwivedi MBBS-2003

S/o Mr. U.K DWIVEDI

Address - E-2 353, ARERA COLONY BHOPAL 462066 (MP)

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कार्यरत रहने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1207...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- संचालक सुपर स्पेसियलिटी जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1211
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. SACHIN KUMAR BHATELE 06-203

S/o MR. SURENDRA KUMAR BHATELE

Address- GOVT. VETERINARY HOSPITAL DEORI KALAN SAGAR M.P.

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि जिला चिकित्सा अधिकारी सागर में वर्ष 2009 से करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1211...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- जिला चिकित्सा अधिकारी सागर ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1198

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. NEETU AHIRWAR UG-2403

D/o MR. KHARGAI AHIRWAR

Address- CHANDIJI HATTA, DAMOH (MP) PIN

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1198...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:-अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1200

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. NAVNEET JAIN 06-2w3

S/o MR. DAYAL CHAND JAIN

Address- 90, SIDDHANAGAR PURWAGRAM JABALPUR MP 482003

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि ट्रामा सेटर जिला नरसिंहपुर में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे। या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1200.../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- ट्रामा सेटर जिला नरसिंहपुर ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1292
प्रति,

दिनांक - 10/02/2022

Dr. ROOPA AGRAWAL MBBS-2004

S/o Mr. Mr. S.K. AGRAWAL

Address - 623, DIXITPURA, SARAFI WARD, JABALPUR (MP) 482002

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि छात्रा द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर शिवाजी वार्ड, सागर में दिनांक 02-07-2018 से 26-12-2019 तक कार्य करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1291

दिनांक - 10/02/2022

प्रति,

Dr. ANURAG SONI MBBS-2005

Address - 17-18, RAMANUJ NAGAR, THATIPUR MURAR, GWALIOR, (MP)

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि छात्र द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल द्वारा एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1227

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. MOHINI GUPTA **UG-2004**

D/o MR. UMASANKAR GUPTA

Address- RAJ RAJESWARI COLONY NEAR POLICE CHOKI KARERA SHIVPURI

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1227...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

Dean

A.N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1201

दिनांक - 9 /02/2022

प्रति,

Dr. SAURABH RATHORE 06-2004

S/O Mr. SANTOSH RATHORE

Address- 9-B, JANKI NAGAR, CHOONA BHATTI, BHOPAL (MP)

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि जिला चिकित्सालय रायसेन में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ..1201...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- जिला चिकित्सालय रायसेन ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1202,
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. PRASANT KUMAR MADIYA UG-2004

S/o Mr. RAM DAYAL MADIYA

Address- GRAM & POST PANTI, DISTT. REWA (MP) 486335

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1202...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1218
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. KIRTI PATEL · 06-205

D/o Mr. PREMLAL PATEL

Address- Vill. Kherua, Distt. Damoh, M.P.-470661

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में कार्यरत होने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया में कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ..1218...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष महिला रोग मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1208
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. ABHISHEK THAKUR UH-2WS

G/o Mr. CHANDRA KUMAR THAKUR

Address- POST SANODHA, TEH. & DISTT. SAGAR (MP)

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि महाविद्यालय सागर में कार्यरत होने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया में कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1208...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1264
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr.SANTOSH KUMAR MISHRA 46-2005

S/o Mr. Mr. RAMESH KUMAR MISHRA

Address- GRAM & POST PANTI, DISTT. REWA (MP) 486335

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1264...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1209
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. SRISHTI TRIPATHI UG-2005

D/o Mr SHIV KUMAR TRIPATHI

Address- HIG-37 JANKI NAGAR UKHRI ROAD, BALDEOBAGH,
JABALPUR (MP) 482002

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में कार्यरत में करने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1209.../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष चर्मरोग विभाग मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1213

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. SEEMA SHIVHARE 06-2105

D/O Mr. KASHI Pd. SHIVHARE

Address- Shri . K.P. Shvihare, MPSEB Colony,
Ganesh Chowk, Civil Lines, Katni - 483501

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयराघवगढ़ कटनी में कार्यरत होने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया में कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1213/छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयराघवगढ़ कटनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1206

दिनांक - 9/02/2022

प्रति,

Dr. SMRITI TIWARI UG-2005

D/o Mr. SATISH TIWARI

Address- H.S. 391 NAYA BASERA KOTRA, SULTANABAD BHOPAL (MP) 482001

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ...1206...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1221

दिनांक - 9 /02/2022

प्रति,

Dr. KUNAL PEEPRE 06-209

S/o Mr. TILAK SINGH PEEPRE

Address -6, PRIYADARSHINI PARISAR, UKHARI ROAD,

BALDEV BHGH, JABALPUR (M.p.)

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में प्रदर्शक के पद पर कार्यरत होने का जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक ..1221...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1219
प्रति,

दिनांक - 9 /02/2022

Dr. RITIKA JAIN **UG-2010**
D/o Mr. SUSHIL JAIN
Address 141, GANESH GANJ W.NO.10 SARAF
CHOWK, HOSHANGABAD

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि एन.एच.एम. के अंतर्गत डी.एच.होसंगाबाद में कार्यरत में कार्यरत होने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया में कार्यरत में करने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

क्रमांक 1219...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- डी.एच.होसंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 9/02/2022

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1220
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. SANJEEV SAIYAM 06-2010

U/o Mr. RADHE LAL SAIYAM

Address -WARD NO.8 TALABTOLA, NAINPUR DISTT. MANDLA (MP) 481776

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1220...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

कमांक/छात्र/ 2022/1217
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. KIRAN RATHORE MBBS-2011
S/o Mr. KAILASH CHANDRA RATHORE
Address - VILLAGE AND POST- KANASIYA, TEH.- TARANA,
DIST.- UJJAIN (MP)- 456770

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बैंक गारंटी जमा करने पर चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1222
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. GARIMA UIKEY 06-2011

S/o Mr. MAHANT KUMAR UIKEY

Address - AT POST BARGI RAILWAY LINE GHATPIPARIYA ROAD - 482051

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सीनियर रेसीडेन्ट के पद कार्यरत होने का जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1222...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1226
प्रति,

दिनांक - 9 /02/2022

Dr. ADITI PATEL 06-2012

S/o Mr. BHAJAN SINGH

Address - H.NO. 442 GUDVIL COMPLEX, NEPIYAR TOWN JABALPUR MP

Mob -8358955505

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि शासकीय महाविद्यालय खण्डवा मे जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर कार्यरत रहने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक .1226...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- अधिष्ठाता , शासकीय महाविद्यालय खण्डवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1223

दिनांक - 9 /02/2022

प्रति,

Dr. PRATISHTA CHOUHAN **UG-2012**

S/o Mr. GANGA PRASAD

Address - SUNDER SADAN BORI ROAD VILLAGE

PARA DIST. JHABUA MP

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1223...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाबुआ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/1224
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. OM PRAKASH ARYA **U6-2012**

S/o Mr. CHHOTELAL PATEL

Address - A 12 RAMVIHAR COLONY, SATNA 485001

Mob-9425800956

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवराजनगर जिला सतना में कार्यरत रहने की जानकारी आपके के द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1224...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवराजनगर जिला सतना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज जबलपुर मध्यप्रदेश

क्रमांक/छात्र/ 2022/ 1225
प्रति,

दिनांक - 9/02/2022

Dr. JEFFY JOSE - 2013/MBBS

S/o Mr. JOSE MATHEW

Address - V-3 E-8 EXTN, SOUTH CITY, GULMOHAR, BHOPAL MP - 462039

Mob - 7566820003

विषय- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में महाविद्यालय को आपके द्वारा बाण्ड अवधि सुपर स्पेसियलिटी जबलपुर में जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर कार्यरत रहने की जानकारी आपके द्वारा महाविद्यालय को दी गई थी। परन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक महाविद्यालय को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक बाण्ड पूर्ण नहीं किया है। इस स्थिति में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर इस कार्यालय में बाण्ड राशि जमा करे या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति महाविद्यालय में प्रस्तुत करे।

यदि आपके द्वारा इस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर बाण्ड राशि जमा न करने या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के द्वारा बाण्ड अवधि पूर्ण होने की अनापत्ति प्रस्तुत न करने की स्थिति में संस्था आपको बाण्ड डिफाल्टर में शामिल कर आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल/विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्तीकरण हेतु भेजी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर

जबलपुर दिनांक 9/02/2022

क्रमांक 1225...../छात्र/ 2022

प्रतिलिपि:- सुपर स्पेसियलिटी जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

मेडिकल कॉलेज जबलपुर